न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 09/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		पर्वतसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री चन्द्रसिंह निवासी ई-118 यूआईटी कॉलोनी प्रतापनगर, जोधपुर फर्म श्री जोधपुर स्वीट कॉर्नर, सेक्टर ए प्रतापनगर, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति: –

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री विक्रम देवीदास प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धरम सोनी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 28.04.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी पर्वतसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री चन्द्रसिंह राजपुरोहित निवासी ई 118 यूआईटी कॉलोनी प्रतापनगर जोधपुर फर्म श्री जोधपुर स्वीट कॉर्नर सेक्टर ए प्रतापनगर जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2023 को जिला प्रवर्तन निरीक्षक मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा श्री जोधपुर स्वीट कॉर्नर सेक्टर ए प्रतापनगर जोधपुर की की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक व अपना नाम पर्वतसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री चन्द्रसिंह राजपुरोहित बताया एवं प्रतिष्ठान पर मौके पर 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (एच.पी. कम्पनी के 04 व इण्डेन कम्पनी का 01) पाए गये जिनका उपयोग भट्टी पर लगाकर व्यावसायिक कार्य हेतु

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner

किया जा रहा था। उक्त सिलेण्डरों के संबंध में प्रतिष्ठान संचालक द्वारा कोई भी विधिक दस्तावेज व कनेक्शन डायरी प्रस्तुत नहीं की गयी। मौके पर पाए गये 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	एच.पी.	003628 (S)	19.2 कि.ग्रा.	19.2 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
2.	इण्डेन	071029 (S)	29.5 कि.ग्रा.	23 कि.ग्रा.	6.5 कि.ग्रा.
3.	एच.पी.	003865 (S)	19.1 कि.ग्रा.	19.1 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
4.	एच.पी.	629393 (S)	19.1 कि.ग्रा.	19.1 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
5.	एच.पी.	012386 (S)	19.2 कि.ग्रा.	19.1 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.

उक्त 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाकर श्री रामनारायण पुत्र श्री मानाराम उम्र 28 वर्ष जाति विश्नोई हॉल हॉकर महावीर इण्डेन गैस एजेन्सी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अत: प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री विक्रम देवीदास प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच मौके पर 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (एच.पी. कम्पनी के 04 व इण्डेन कम्पनी का 01) बिना गैस एजेन्सी द्वारा जारी कनेक्शन के उपयोग में लिए जाना पाए गए। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग में लिया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धरम सोनी ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को व्यावसायिक दर पर खरीदकर अपने प्रतिष्ठान पर उपयोग में लिये गये है। अप्रार्थी द्वारा समुचित प्रतिफल की राशि अदा कर अघरेलु गैस सिलेण्डर ही अपने प्रतिष्ठान पर उपयोग में लिये गये है इसलिए उक्त 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात नहीं किये जावें। अत:

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा जब्त 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (एच.पी. कम्पनी के 04 व इण्डेन कम्पनी का 01) को रिलीज करने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने विभागीय पेरोकार व अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच मौके पर 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (एच.पी. कम्पनी के 04 व इण्डेन कम्पनी का 01) बिना गैस एजेन्सी द्वारा जारी कनेक्शन के उपयोग में लिए जाना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उक्त 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का बिना गैस एजेन्सी द्वारा जारी कनेक्शन के अवैध भण्डारण किया जाकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों (एच.पी. कम्पनी के 04 व इण्डेन कम्पनी का 01) को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों (एच.पी. कम्पनी के 04 व इण्डेन कम्पनी का 01) का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर (राज.)

Scanned with CamScanner